न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00065 (पुराना 128/2002)

1. रामकुमार पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
2. डुंगर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

—अपीलांट

बनाम

1. मनफूल (फौत)
   1/1 धर्मपाल पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/2 जगदीश पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/3 पदमाराम पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/4 कालुराम पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/5 हरपत पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/6 राजेन्द्र पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/7 रोशनी पुत्री स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/8 धनी पुत्री स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/9 शान्ति पत्नी स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर। (फौत)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2002, प्र. सं. 295/97
अनवान रामकुमार बनाम मनफूल आदि
द्वारा सहायक कलक्टर नोहर

उपस्थितः—
श्री मदनमोहन जोशी अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री हवासिंहि पूनिया रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/...
श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 24.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट वादी ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि रोही मालिया के खसरा नं. 320

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में 30.03 बीघा भूमि दिनांक 02.08.1977 को मोहरा जोजा उदाराम से खरीद की थी व लगातार खरीद की दिनांक से वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त बैयनामा का इन्तकाल भी दिनांक 15.12.1977 को वादीगण के नाम खोला जा चुका है। प्रतिवादी मनफूल को खसरा नं.0 121 की 18 बीघा आवंटन शुदा है। बन्दोबस्त विभाग की पैमाईश में उक्त भूमि के खसरा नं. 317/339 में 13 बीघा व खसरा नं0 317 में 5 बीघा पैमूद हुई जो उनके नाम से दर्ज हुई जिसमें 13 बीघा भूमि सिवाय चक दर्ज हो गई व 5 बीघा भूमि उसके पिता गणेशा के नाम दर्ज कर दी गई। सिवायचक भूमि किशनाराम को आवंटन हो गई जिसके विरूद्ध प्रतिवादी मनफूल ने अपील दायर की जो प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने के बाद राजस्व अभियान दिनांक 29.10.1977 को 13 बीघा प्रतिवादी को आवंटन कर दी गई। प्रतिवादी ने एक दावा मनफूल बनाम मोहरा में वादी को पक्षकार बनाये बिना ही खसरा नं. 320 की 2.10 बीघा भूमि का पेश किया जो दिनांक 11.7.1990 को डिक्री कर कर दिया गया। प्रतिविादी के पिता मनफूल की साबिका खसरा नं. 121 में 24.1 बीघा भूमि थी जो वर्तमान में 72.18 बीघा भूमि दर्ज है। अर्थात 18.17 बीघाभूमि अधिक भूमि प्रतिवादी व उसके पिता के कब्जे में है। प्रतिवादी ने दावा गलत आधार से प्रस्तुत करके 2.10 बीघाभूमि भी अपने नाम से दर्ज करा ली। जिसपर उसका कोई हक नहीं है। खसरा की भूमि से इनका कोई संबंध नहीं है। वादी ने अपनी खरीदशुदा भूमि 30.03 बीघा भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया। प्रतिवादी ने उपस्थित आकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों से इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20.09.2002 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहां अपील दायर की जिसमें तनकीयात कायम करते हुए तथा विस्तृत विवेचन करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23.09.2002 से अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2002 को अपास्त कर दिया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश हुई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2020 से अपील को आंशिक स्वीकार किया एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2003 को निरस्त कर दिया। निर्णय में यह कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में मियाद के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया तथा प्रतिवादी के अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से उसकी भूमि किसी भी तरह से वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही होने अर्थात धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बिन्दु पर निर्णय में कोई भी विवेचन अंकित नही किया गया है उक्त विवेचन के अनुसार उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश किया।

2. अपील पुनः नंबर पर दर्ज की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रोही मालिया के खसरा नं. 320 में 30.03 बीघा भूमि दिनांक 02.08.1977 को मोहरा जोजा उदाराम ने खरीद की थी व लगातार खरीद की दिनांक से वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बैयनामा का इन्तकाल भी दिनांक 15.12.1977 को वादीगण के नाम खोला जा चुका है। प्रतिवादी मनफूल को खसरा नं.0 121 की 18 बीघा आवंटन शुदा है। बन्दोबस्त विभाग की पैमाईश में उक्त भूमि के खसरा नं. 317/339 में 13 बीघा व खसरा नं0 317 में 5 बीघा पैमूद हुई जो उनके नाम से दर्ज हुई जिसमें 13 बीघा भूमि सिवाय चक दर्ज हो गई व 5 बीघा भूमि उसके पिता गणेशा के नाम दर्ज कर दी गई। सिवायचक भूमि किशनाराम को आवंटन हो गई जिसके विरूद्ध प्रतिवादी मनफूल ने अपील दायर की जो प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने के बाद राजस्व अभियान दिनांक 29.10.1977 को 13 बीघा प्रतिवादी को आवंटन कर दी गई। प्रतिवादी ने एक दावा मनफूल बनाम मोहरा में वादी को पक्षकार बनाये बिना ही खसरा नं. 320 की 2.10 बीघा भूमि का पेश किया जो दिनांक 11.7.1990 को डिक्री कर कर दिया गया। प्रतिविादी के पिता मनफूल की साबिका खसरा नं. 121 में 24.1 बीघा भूमि थी जो वर्तमान में 72.18 बीघा भूमि दर्ज है। अर्थात 18.17 बीघाभूमि अधिक भूमि प्रतिवादी व उसके पिता के कब्जे में है। प्रतिवादी ने दावा गलत आधार से प्रस्तुत करके 2.10 बीघाभूमि भी अपने नाम से दर्ज करा ली। जिसपर उसका कोई हक नहीं है। खसरा की भूमि से इनका कोई संबंध नहीं है। अपीलाण्ट उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज था व अपीलाण्ट को वाद में बिना पक्षकार बनाये खातेदार घोषित किया है जबकि बिना किसी खातेदार को सुने दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। उक्त डिक्री अपीलाण्ट के अधिकारों के प्रति शून्य है। वादी ने अपनी खरीदशुदा भूमि 30.03 बीघा भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया था। राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2003 विधि सम्मत है। अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2002 निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में 1990 आरआरडी पेज 612, 2014 सीसीसी पेज 461, 2002 आरएलडब्ल्यू पेज 178, 1994 आरबीजे पेज 122, 1990 आरआरडी पेज 617, 2004 (2) आरएलडब्ल्यू पेज 278 एससी, 2004 (2) आरएलडब्ल्यू पेज 280 एससी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज०)

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रतिवादी रेस्पो0 नं ख0 नं0 121 की 2.10 बीघा भूमि के बाबत वाद अनवानी मनफूल बनाम मोहरा आदि वाद संख्या 140/84 प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.07.1990 को प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री किया गया है और हाल खसरा नं. 320 की 2.10 बीघाभूमि का प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा कोई अपील आदि नही की गई है व इसी वाद में निर्णय व डिक्री को [illegible] मोहरा देवी ने बिना हक व हिस्सा के रेस्पा0 के खातेदारी भूमि का बैयनामा अपीलाण्ट के पक्ष में करवाया था जो शुन्य है। सक्षम न्यायालय द्वारा प[illegible] डिक्री को धा[illegible]88 आरटीएक्ट के वाद में शुन्य घोषित नही किया जा सकता। इस [illegible] अपील अथवा सिविल न्यायालय में ही कार्यवाही की जा सकती है। मोहरा देवी ने भू प्रबन्ध विभाग [illegible] अधिकारियों से मिली भगत करके रेस्पो0 की 2.10 बीघा भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली थी। रेस्पो0 को कुल 18 बीघा भूमि दिनांक 11.07.90 को आवंटन की गई थी रेस्पो0 के नाम से खसरा नं. 317/339 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested

13 बीघा ख0 नं0 320 में 2.10 बीघा पश्चिमी हिस्सा की खसरा नं. 318 की 1.5 बीघा पूर्वी हिस्सा की कुल 18 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेजात होने एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में यह कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में मियाद के बिन्दु पर कोई विवेचन करने एवं तथा प्रतिवादी के अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से उसकी भूमि किसी भी तरह से वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही होने अर्थात धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अल्लंघन के बिन्दु पर निर्णय में कोई भी विवेचन अंकित नही किया गया है उपरोक्त विवेचन के अनुसार उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 42 अधिनियम का निर्णय किया जा रहा है।

8. विद्वान उपखण्ड अधकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 11.07.1990 को निर्णय किया था जबकि दिनांक 11.07.1990 की डिक्री से पूर्व वादी के पक्ष में यानि 1977 में यानि 13 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड बैयनामा हो चुका था तथा वादी को दिनांक 11.07.1990 को डिक्री में वाद भूमि का रजिस्टर्ड खरीददार होने पर भी पक्षकार नहीं बनाया गया। वादी के पक्ष में दिनांक 11.07.1990 को डिक्री बाध्यकारी नही थी क्यों कि वह उस डिक्री में पक्षकार नहीं था। जैसाकि न्यायिक दृष्टान्त आर०आरडी 1990 पेज नम्बर 200 के अनुसार स्पष्ट है तथा वादी का वाद प्रस्तुति 1997 की है जो अन्दर मियाद है क्योंकि वादी रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर वाद लाने में सक्षम था। कब्जा वादी बाबत् कमिश्नर यशवन्त सिंह सहारण एडवोकेट मौके पर गये जिन्होंने ख. नं. 320 की 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि का नाप सही पाया गया जिस रिपोर्ट रेस्पो0 मनफूल के स्वयं क अंगूठा लगा हुआ है, वादी ने सन् 1997 के वाद में स्पष्ट कथन किया है कि रेसपो0 मनफूल का नाम सन् 1990 की डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जो उसने तथ्यों को छुपाकर करवा लिया उक्त इन्द्राजात को दुरूस्त करने हेतु ... तथा आराजी मुतनाजा वादीगण/अपीलाण्ट के नाम दर्ज करवाने का ... वह दिनांक 10.09.1997 को बमुकाम मालिया तहसील नोहर ... इन्कार हो गया जबकि अपीलाण्ट वादी को वाद प्रस्तुत करना पड़ा इसलिए वाद अन्दर मियाद है। ... न्यायिक दृष्टांत आरआरटी सं0 2020 (1) पेज नम्बर 524 बअनवानी दौला बनाम हरदारा आदि में डबल बैंच द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित किया है कि घोषणात्मक वाद में कोई मियाद नहीं होती है तथा आरबीजे 2020 पेज 545 में यह निर्धारित किया है कि राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के वाद में मियाद बिन्दू कोई मायने नहीं रखता है। उपरौक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में अपीलाण्ट का वाद अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

9. जहां तक धारा 42 का संबंध है। वाद भूमि रोही मोज मालिया तहसील नोहर के ख. नं. 320 में 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 02.08.1977 को मोहरा जोजा उदाराम से खरीद की थी व लगातार खरीद की दिनांक से वादी/अपीलांट के नाम चली आ रही है। उक्त बैयनामा का इंतकाल भी दिनांक 15.12.1977 को वादीगण के नाम हो चुका है। उक्त भूम दिनांक 28.02.1966 को रामरख पुत्र धर्मा ने अपने खातेजात की भूमि को मोहरा जोजा उदाराम कौम सुथार साकिन खरसण्डी को बेचान किया तथा 2010 से 2013 की जमाबन्दी में रामरख वल्द धर्मा कौम खाती के नाम से खाता 22/92 में ख. नं. 124 की 42 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है तथा साबिका खसरा नंम्बर 124 के हाल खसरा नम्बर 120 मुर्तिब व पैमूद हुए एवं ख. नं. 320 की 30 बीघा भूमि होना साबित है। अर्थात उक्त भूमि जब 2010 से 2013 की जमाबन्दी में रामरख वल्द धर्मा के नाम दर्ज है जो उक्त भूमि पर धारा 42 आरटीएक्ट लागू नहीं होती है क्योंकि उक्त भूमि मोहरा जोजा उदाराम व तत्पश्चात् अपीलाण्ट के नाम दर्ज रही है। रेस्पो0 का ख. नं. 320 से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि रेस्पो0 को ख. नं. 121 की 18 बीघा भूमि आवंटन शुदा थी जो भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ख. नं. 317/339 में 13 बीघा ख. नं. 317 में 5 बीघा में पैमूद हुई जो खसरा मिलान प्रदर्श 5 में ख. नं. 121 के हाल ख. नं. 243, 317, व 317/335 दर्ज होना साबित है। इसलिए खसरा नं. 320 की भूमि का रेस्पो0 से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए रेस्पोडेण्ट को आवंटित 18 बीघा भूमि होना स्वयं रेस्पो0 ने कथित किया है जो हाल ख0 नं0 121 में 18 बीघा में से 13 बीघा रेस्पो0 के नाम व शेष 5 बीघा भूमि उसके पिता के नाम से दर्ज कर दी गई व ख. नं. 317/339 में दर्ज कर दी जो बाद में किशना पुत्र सुरजाराम को आवंटन कर दी उक्त आवंटन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर किशनाराम का आवंटन खारिज कर दिया व राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 29.10.1977 को 13 बीघा भूमि रेस्पो0 के नाम से खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित किया जो प्रदर्श 8 से पूर्णतया साबित है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10. पूर्व मे निर्णय तनकीवाईज किया गया था।

11. तनकी नं. 1:– आया आराजी मुतनाजा रोही मौजा मालिया को ख0 नं0 320 की 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि वादीगण की कब्जा काश्त की खतोदारी भूमि है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भा[illegible] वाद में प्रस्तुत ग्रम मालिया संवत 2031 प्रदर्श पी–2 में खसरा नं. 320 की [illegible].03 [illegible]घा भूमि मोहरा जोजा उदाराम जाति सुथार के नाम से बतौर खा[illegible] दर्ज है। मो[illegible] से उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 02.08.1977 को वादी भूमि खरीद करना प्रदर्श पी.1 बैयनामा से साबित है। उक्त बैयनामा में सन 1984 में प्रस्तुत हुए वाद में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था जो दिनांक 02.08.1977 को डिक्री किया गया है। यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी द्वारा वाद दायर करने के समय भूमि अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज थी व कब्जा काश्त भी अपीलाण्ट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साबित है। इसलिए <u>वादी/अपीलाण्ट</u> खरीदशुदा भूमि को खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। दस्तावेजों से यह तथ्य साबित है कि ख0 नं0 121 की 18 बीघा भूमि में से 13 बीघा भूमि रेस्पो0 के नाम से शेष 5 बीघा भूमि उसके पिता के नाम से दर्ज है। ख0 नं0 320 की 2.10 बीघा भूमि में रेस्पो0 का कोई हित नही है। अपीलाण्ट खसरा नं. 320 की 30.03 बीघा भूमि का खातेदार है व उक्त भूमि के कब्जा काश्त की एवम् खातेदारी भूमि है। यह तनकी अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

12. तनकी नं. 2 आया जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर आराजी मुतनाजा ख0 नं0 320 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि मनफूल के नाम से कलमजन करवाकर वादीगण के नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी अपीलाण्ट पर था। तनकी नं. 1 के निर्णय में यह साबित हो चुका है कि वादी खसरा नं. 320 की 30.03 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि प्रतिवादी मनफूल के नाम से दर्ज की हुई है। वादी उक्त भूमि का खातेदार होने के कारण खसरा नं. 320 की 2.10 बीघा भूमि मनफूल के नाम से कलमजन करवाकर अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्षमें निर्णित की जाती है।

13. तनकी नं. 3 आया वादीगण आराजी मुतनाजा के किसी श्रेणी के काश्तकार नहीं है इसलिए दावा नहीं ला सकते हैं?

तनकी नं. 4 आया वादीगण को दावा लाने का लोकस्टेण्डाई हासिल नही है?

तनकी नं. 5 आया दावा मेन्टेबल नहीं है।

उक्त तीनों तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी रेस्पो0 पर था। वादी विववादित भूमि का जमाबन्दी प्रदर्श– पी–10 सम्वत 2039 के अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज है व उक्त भूमि वादी के ही कब्जा काश्त में है। इसलिए वादी उक्त भूमि का काश्तकार होना साबित है एवम् वादी को वाद प्रस्तुत करने का पूर्णतया अधिकार प्राप्त है। वादी ने कृषि भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया चलने योग्य है व दावा राजस्व न्यायालय के क्षत्राधिकार का है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रसतुत नही किया है जिससे वादी को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार न हो अथवा दावा राजस्व न्यायालय के क्षत्राधिकार का ना हो। उक्त तीनों तनकीयों को प्रतिवादी साबित करने में असफल रहे है। इसलिए उक्त तीनों तनकीयां प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

14. तनकी नं. 6 आया वादीगण निर्णय [illegible] से पाबन्द हैं?

उक्त तनकी को सबित करने का भार भी प्रति[illegible] 0 पर था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वाद अनव[illegible] [illegible]फूल बनाम [illegible] देवी वाद संख्या 140/84 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.1990 [illegible] मनफूल द्वारा मोहरा आदि के विरूद्ध सन 1984 के अन्य भूमि के साथ–साथ ख[illegible] नं. 320 की 2.10 बीघा भूमि के बाबत वाद प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2039 व नकल इन्तकाल दिनांक 15.12.1977 से यह तथ्य साबित है कि ख0 नं0 320 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

30.03 बीघा भूमि वादी अपीलाण्ट के नाम से दर्ज होना साबित है। परन्तु अपीलाण्ट को उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया है। न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1990 पेज 612 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वाद में पक्षकार न हो तो उक्त निर्णय से बाध्य नहीं है। निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.90 में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं थे इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री को मानने हेतु बाध्य नहीं है। वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु स्वतंत्र है। यह तनकी भी प्रतिवावदीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

15. तनकी नं. 7 आया दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिविादी रेस्पो0 पर था वादी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.1990 को शून्य करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा है। निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.1990 में वादी पक्षकार नहीं थे। इसलिए उक्त डिक्री वादीगण पर बाध्यकारी नहीं है। वादी ने अपनी कृषि भूमि की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। इसलिए यह वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधर पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2002 निरस्त किया जाता है एवं रोही मालिया के ख0 नं0 320 की 30.03 बीघा भूमि का अपीलाण्ट वादीगण रामकुमार व डुंगर पिसरान गोरधन जाति जाट सानिक सोनड़ी की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है। ख0 नं0 320 की 2.10 बीघा भूमि प्रतिवादी मनफूल पुत्र गणेशाराम के नाम कलमजन की जाकर वादीगण के नाम से दर्ज की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जवे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

17. निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 2020/00065 (पुराना 128/2002)

1. रामकुमार पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
2. डुंगर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

—अपीलांट

बनाम

1. मनफूल (फौत)
   1/1 धर्मपाल पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/2 जगदीश पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/3 पदमाराम पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/4 कालुराम पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/5 हरपत पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/6 राजेन्द्र पुत्र स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/7 रोशनी पुत्री स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/8 धनी पुत्री स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
   1/9 शान्ति पत्नी स्व0 मनफूल जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।(फौत)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2002, प्र. सं. 295/97
अनवान रामकुमार बनाम मनफूल आदि
द्वारा सहायक कलक्टर नोहर

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनमोहन जोशी अभिभाषक अपीलाण्ट श्री हवासिंहि पूनिया रेस्पोडेण्ट सं[illegible] श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 [illegible] 2 [illegible] ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीक[illegible] जाती की [illegible] है एवं सहायक कलक्टर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2002 निरस्त किया जाता है एवं रोही मालिया के ख0 नं0 320 की 30.03 बीघा भूमि का अपीलाण्ट वादीगण रामकुमार व डुंगर पिसरान गोरधन जाति जाट सानिक सोनड़ी की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है। ख0 नं0 320 की 2.10 बीघा भूमि प्रतिवादी मनफूल पुत्र गणेशाराम के नाम कलमजन की जाकर वादीगण के नाम से दर्ज की जावे।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 24.X.21 को जारी की गई।

24/X/21

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:48 IST
Reason: SelfAttested